



चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
CH. CHARAN SINGH UNIVERSITY, MEERUT
नीलामी सूचना

निविदा सूचना संख्या: अभि०/१५/२०२५-२६/०६ दिनांक : २९.०१.२०२६

विश्वविद्यालय परिसर में निष्प्रयोज्य सामग्री, फर्नीचर, विद्युत सामग्री एवं अन्य सामग्री(लोहा, प्लास्टिक, पुरानी टीन की चादर, सरिया, एल्यूमिनियम एवं लकड़ी) की नीलामी दिनांक १६.०२.२०२६ को समय १०.०० बजे अटल सभागार में होनी है। विस्तृत विवरण एवं शर्तें आदि विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ccsuniversity.ac.in पर उपलब्ध रहेगा।


वित्त अधिकारी

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

तकनीकी बिड

1. कार्य का नाम: निष्प्रयोज्य सामग्री यथा कूलर, मेज, कुर्सी, स्टूल, रैक अलमारी, फाइलिंग कॅबिनेट, अन्य सामग्री (लोहे एवं लकड़ी), विद्युत सामग्री जैसे-सीलिंग फैन, कूलर का पंखा, कूलर की वाडी, ए0सी0, वाटर कूलर, एक्वागार्ड इत्यादि की नीलामी हेतु।
2. फर्म / ठेकेदार का नाम.....
3. पता.....
4. मोबाइल नम्बर.....
5. धरोहर धनराशि का विवरण
(कृपया प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)
बैंक का नाम..... डी0डी0 नं0.....
तिथि..... धनराशि.....
6. निविदा फार्म मूल्य का विवरण
(कृपया प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)
बैंक का नाम..... डी0डी0 नं0.....
तिथि..... धनराशि.....
7. जी.एस.टी. पंजीकरण का विवरण.....
(कृपया प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)
8. पैन नम्बर.....
(कृपया प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)
9. आधार कार्ड का नम्बर.....
(कृपया प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)
10. संलग्नक/नियमानुसार के आधार पर प्रत्येक निष्प्रयोज्य सामग्री हेतु जी0एस0टी0 भी फर्म/ठेकेदार द्वारा अतिरिक्त देय होगी।

हस्ताक्षर.....
फर्म/ ठेकेदार का नाम.....
मो0 नं0
मुहर

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ (उ० प्र०)

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय की विभिन्न प्रकार की निष्प्रयोज्य सामग्री यथा कूलर, मेज, कुर्सी, स्टूल, रैक अलमारी, फाइलिंग कैबिनेट, अन्य सामग्री (लोहे एवं लकड़ी), विद्युत सामग्री जैसे-सीलिंग फैन, कूलर का पंखा, कूलर की बाडी, ए०सी०, वाटर कूलर, एक्वागार्ड इत्यादि की दिनांक 16.02.2026 को प्रातः 10:00 बजे दरें आमंत्रित की जायेगी। विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों/भवनों में नीलामी की जाने वाली सामग्री जिस स्थिति में है, को नीलामी की तिथि से एक दिन पूर्व प्रातः 010:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक देखा जा सकता है। निविदा के साथ जमानत राशि के रूप में रू० 1,00,000.00 वित्त अधिकारी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के नाम आर०टी०जी०एस०/डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा जमा करने के साथ-साथ निविदा प्रपत्र मूल्य रू० 1000/-का बैंक ड्राफ्ट वित्त अधिकारी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के पक्ष में देय होगा। अधिकतम् दरदाता को लकड़ी एवं लोहे की सामग्री को छोड़कर शेष सामग्री की सम्पूर्ण धनराशि नगद जमा करनी होगी; लकड़ी एवं लोहे की धनराशि तौल के बाद नगद जमा करना होगा, अन्यथा की स्थिति में निविदा निरस्त करते हुए जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी। किसी भी बोली अथवा सम्पूर्ण नीलामी की कार्यवाही को निरस्त करने का अधिकार माननीय कुलपति महोदया, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को होगा। इस सन्दर्भ में कोई भी वाद/प्रत्यावेदन पोषणीय नहीं होगा।

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ (उ० प्र०)

निष्प्रयोज्य सामग्री नीलामी के नियम एवं शर्तें

1. निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी लेने हेतु इच्छुक ठेकेदार/फर्म दिनांक 16.02.2026 को प्रातः 10:00 बजे अटल सभागार में समिति के समक्ष उपस्थित होंगे।
2. नीलामी के इच्छुक ठेकेदार/फर्म को विश्वविद्यालय की वेबसाइट से नियम एवं शर्तें डाउन लोड करने की दशा में ₹0 1000/- (एक हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो वित्त अधिकारी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के पक्ष में देय होगा, अटल सभागार में दिनांक 16.02.2026 को प्रातः 10:00 बजे जमा कराना होगा।
3. नीलामी के इच्छुक ठेकेदार/फर्म को निविदा के साथ जमानत शुल्क के रूप में ₹0 1,00,000/- (₹0 एक लाख मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो वित्त अधिकारी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के पक्ष में देय होगा, को अटल सभागार में दिनांक 16.02.2026 को प्रातः 10:00 बजे जमा करना होगा।
4. क्रम संख्या 2 एवं 3 में वर्णित शर्तें पूरा करने वाले ठेकेदार/फर्म ही नीलामी की कार्यवाही में भाग ले सकेंगे।
5. नीलामी के उपरांत नीलामी में आए उच्चतम बोली के ठेकेदार/फर्म को छोड़कर शेष व्यक्तियों का ₹0 1,00,000/- (₹0 एक लाख मात्र) का ड्राफ्ट अटल सभागार में ही वापस कर दिया जाएगा।
6. उच्च बोली वाले ठेकेदार/फर्म को प्रतिदिन उठने वाली सामग्री का पूरा पैसा उसी दिन विश्वविद्यालय के लेखा विभाग में जमा करना अनिवार्य होगा।
7. निष्प्रयोज्य सामग्री को ले जाने में यदि कोई विश्वविद्यालय की क्षति होती है, तो क्रेता को उसकी भरपाई करनी होगी।
8. नीलामी में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में माननीय कुलपति जी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ का निर्णय मान्य होगा।
9. निष्प्रयोज्य सामग्री की गिनती उपलब्ध लोहे/लकड़ी के फ्रेम के आधार पर ही होगी।
10. निष्प्रयोज्य सामग्री के ढेर से पृथक-पृथक करने का कार्य ठेकेदार/फर्म का ही होगा।
11. निष्प्रयोज्य सामग्री (जिसकी नीलामी की जानी है) को देखने एवं जानकारी प्राप्त करने हेतु नीलामी की तिथि से एक दिन पूर्व ही अभियन्त्रण विभाग से सम्पर्क करना होगा।
12. संलग्नक/नियमानुसार के आधार पर प्रत्येक निष्प्रयोज्य सामग्री हेतु अतिरिक्त जी०एस०टी० भी फर्म/ठेकेदार द्वारा देय होगी।
13. प्रार्थी/निविदादाता को उपर्युक्त वर्णित क्रम संख्या 1 से 12 तक की सभी शर्तें मान्य हैं।
14. उक्त कार्य के लिये अधिकतम 02 माह का समय देय होगा।

प्रार्थी/निविदादाता

नाम.....

पता.....

मो० नं०.....